रजि० सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 100] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 22, 1971/आसाढ़ 31, 1893

No. 100] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 22, 1971/ASADHA 31, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

**Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.**

## MINISTRY OF FOREIGN TRADE

### PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

*New Delhi, the 22nd July 1971*

SUBJECT—*Import Policy for the year April 1971—March 1972.*

**No. 85-ITC(PN)/71.**—Attention of importers is invited to the import policy as contained in the Import Trade Control Policy (Red Book—Vol. I) for the period April 1971—March 1972.

2. The following amendments shall be made at appropriate places in the Import Trade Control Policy (Red Book—Vol. I) for the period April 1971—March 1972 :—

| Page No. of the Red Book (Vol. I) | Reference | Details of amendments |
|---|---|---|
| 439 | Section V, Appendix 41, Paragraph 5. | The name and address of the licensing authority at S. No. 4 may be read as under:— "The Joint Chief Controller of Imports & Exports (Iron & Steel Division), 4 Esplanade East, Calcutta-1". |

| Page No. of the Red Book (Vol. I) | Reference | Details of amendments |
|---|---|---|
| 443 | Section V, Appendix 41, Schedule 'A' Item No. 14, column 3. | The existing remark may be deemed to have been substituted by the following — "Import allowed" |
| 443 | SectionV, Appendix 41, Schedule 'A' Item No 15, column 3, line 2 | For "S No. 4" *Read* "S. No. 49". |
| 444 | Section V, Appendix 41, Schedule 'B' item No. 2(b), column 2. | The existing description of materials may be deemed to have been substituted by the following — "(b) High tensile alloy steel to specification as below : |

| ISI | Foreign | Spcn |
|---|---|---|
| .. | AISI | 4037 |
| 40 Cr 1 $Mo^{28}$ | ,, | 4140 |
| .. | ,, | 4620 |
| . | ,, | 4042 |
| 20 $Ni^{55}$ $Cr^{50}$ | ,, | 8620 |
| $Mo^{20}$ | ,, | 8622 |
| 40 Ni $Cr^{1}$ $Mo^{18}$ | ,, | 8640 |
| | ,, | 8735 |
| 40 Cr 1 $Mo^{28}$ | EN | 19 |
| 13Ni3 $Cr^{80}$ | EN | 36A |
| 17Mn1 Cr 95 | DIN | 16Mn Cr3 |
| 20Mn Cr 1 | DIN | 20MnCr5 |

or equivalents"

| | | | |
|---|---|---|---|
| 445 | Section V, Appendix 41, Schedule 'B' item No 4 column 2. | The existing description of materials may be deemed to have been substituted by the following:— "Wire rods for ball bearing steel wires of specifications as below :— |

| IS | Foreign specns. | |
|---|---|---|
| 103 $Cr^{2}$ | SAE | 52100 |
| 103 $Cr^{1}$ | SAS | 51100 |
| ,, | SAE | 50100 |
| 20$Ni^{55}$ $Cr^{50}$ $Mo^{20}$ | AISI | 8620 |
| | ,, | 4620 |
| 103 Cr 1 Mn 60 & IS 4398 1967 | EN | 31 |

or equivalents"

| | | |
|---|---|---|
| 445 | Section V, Appendix 41, Schedule 'B' item No 8, column 2 | The existing description of materials may be deemed to have been substituted by the following — "Wire rods for free cutting quality wires conforming to |

| IS | Foreign Specns | |
|---|---|---|
| 13$S^{25}$ | ENIA | |
| 14$M^{1}$ $Si^{4}$ | EN | 202 |
| 10$S^{11}$ | C | 1109" |

| Page No. of the Red Book (Vol. I) | Reference | Details of amendments |
|---|---|---|
| 446 | Section V, Appendix 41, Schedule 'B', item No. 14, Column 2. | The existing description of materials may be deemed to have been substituted by the following :— |

"Wire rods for engine valves conforming to the specifications :

| ISI | | Foreign | |
|---|---|---|---|
| 40 $Cr^1$ | . | EN | 18 |
| 40 Ni2Cr 1 Mo[illegible] | . | EN | 24 |
| .. | | EN | 51 |
| 40 Cr 9Si4 | . | EN | 52 |
| .. | | EN | 54 |
| 40CrNi14W3Si2 | . | EN | 54 A |
| 50Cr20Si2Ni1 | . | EN | 59 |

or equivalents"

| Page No. of the Red Book (Vol. I) | Reference | Details of amendments |
|---|---|---|
| 449 | Section V, Appendix 41, Schedule 'C', item No. 6, Column 3. | The existing remark may be deemed to have been substituted by the following :— "Import of sheets and plates allowed. Import of other items will be allowed against NAC from producers mentioned at Sl. Nos. 4, 8, 16 and 18 of the Schedule 'B'." |
| 450 | Section V, Appendix 41, Schedule 'C', item No. 9, Column 2. | The existing description of materials may be deemed to have been substituted by the following :— |

"Ball bearings steel billets and bars conforming to specifications as below :—

| IS | | Foreign | |
|---|---|---|---|
| 103 $Cr^2$ | . | SAE | 52100 |
| 103 $Cr^1$ | . | SAE | 51100 |
| .. | . | SAE | 50100 |
| 20$Ni^{55}$ $Cr^{60}$ $Mo^{20}$ | | AISI | 8620 |
| .. | . | AISI | 4620 |
| 103 $Cr^1$ Mn 60 | | EN | 31 |

S IS4398 of 1967 or equivalents."

| Page No. of the Red Book (Vol. I) | Reference | Details of amendments |
|---|---|---|
| 452 | Section V, Appendix 41, Schedule 'C', item No. 12, Column 3. | (1) In remark (iv) the specification "02Cr18 Mi11 Mo3" given under the heading, 'IS' may be deemed to have been amended to read as under :— 02Cr18Ni11 Mo3" |
| | | (2) In line 2 of remarks (viii), for "AISI 30" occurring after the bracket, read "(AISI 309)". |

## विदेश व्यापार मंत्रालय

### सार्वजनिक सूचनाएं

### आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 1971

विषय : अप्रैल, 1971–मार्च, 1972 वर्ष के लिए आयात नीति ।

सं० 85/आई० टी० सी० (पी०एन०)/71.—आयातकों का ध्यान अप्रैल, 1971–मार्च, 1972 अवधि के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति (रैड बुक वा०-1) में यथा निर्दिष्ट नीति की ओर आकृष्ट किया जाता है ।

2. निम्नलिखित संशोधन अप्रैल, 1971–मार्च, 1972 अवधि के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति (रैड बुक वा०–1) में उपयुक्त स्थानों पर किए जाएंगे :—

| रैड बुक वा०–1 की पृष्ठ सं० | संदर्भ | संशोधनों का ब्योरा |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 439 | खंड 5, परिशिष्ट 41, कंडिका 5 | क्रम सं० 4 पर लाइसेंस प्राधिकारी का नाम और पता निम्न प्रकार पढ़ा जाए :— "संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात (लोहा तथा इस्पात विभाग) 4, एसप्लानेड ईस्ट, कलकत्ता–1" |
| 443 | खंड 5, परिशिष्ट 41, अनुसूची 'ए', मद सं० 14, कालम 3 | वर्तमान टिप्पणी निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की गई समझी जाए :— "आयात स्वीकृत है" । |
| 443 | खंड 5, परिशिष्ट 41, अनुसूची 'ए', मद सं० 15, कालम 3, पंक्ति 2 | "क्रम सं०" 4 के लिए "क्रम सं० 49" पढ़े |
| 444 | खंड 5, परिशिष्ट 41, अनुसूची 'बी', मद सं० 2 (बी), कालम-2 | माल का वर्तमान विवरण निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया गया समझा जाए :— "निम्नलिखित विशिष्टिकरण के लिए उच्च तनन मिश्रित इस्पात.— |

| 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|
| | आई एस आई | विदेशी विशिष्टिकरण | |
| | — | ए आई एस आई | 4037 |
| | 40 सी आर 1 एम ओ | | |
| | 28 | वही | 4140 |
| | — | वही | 4620 |
| | — | वही | 4042 |
| | 20 एन आई 55 सी आर | वही | 8620 |
| | 50 एम ओ 20 | | |
| | — | वही | 8622 |
| | 40 एन आई–सी आर 1 एम ओ 15 | वही | 8640 |
| | — | वही | 8735 |
| | 40 सी आर 1 एम ओ 28 ई एन | | 19 |
| | 13 एन आई 3 सी आर 80 ई एन | | 36 ए |
| | 17 एम एन 1 सी आर 95 | डी आई एन | 16 एम एन सी आर 3 |
| | 20 एम एन सी आर 1 | वही | 20 एम एन सी आर 5 |
| | अथवा बराबर वाले" | | |
| 445 | खंड 5, परिशिष्ट 41, अनुसूची "बी 8" मद सं० 4, कालम 2 | माल का वर्तमान विवरण निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया गया समझा जाए :— "निम्नलिखित विशिष्टिकरण के बाल बेयरिंग स्टील तारों के लिए तार राडें :— | |
| | आई एस | विदेशी विशिष्टिकरण | |
| | 103 सी आर 2 | एस ए आई | 52100 |
| | 103 सी आर 1 | वही | 51100 |
| | — | वही | 50100 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | | 20 एन आई 55 सी आर 50 एम ओ 20 — ए आई एस आई — 8620 |
| | | — — वही — 4620 |
| | | 103 सी आर 1 एम एन 60 तथा आई एस 4398:1967 या बराबर वाले" — ई एन — 31 |
| 445 | खंड 5, परिशिष्ट 41, अनुसूची "बी ह," मद सं० 84, कालम-2 | माल का वर्तमान विवरण निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया गया समझा जाए :— "निम्नलिखित की पुष्टि करते हुए फ्री कटिंग वायर के लिए वायर राडें :— |
| | | आई एस — विदेशी विशिष्टिकरण |
| | | 13 ए न 25 — ई एन आई ए |
| | | 14 एम एन 1 एस आई 4- — ई एन 202 |
| | | 10 एस 11 — सी 1109" |
| 446 | खंड 5, परिशिष्ट 41, अनुसूची 'ग", मद सं० 14, कालम 2 | माल का वर्तमान विवरण निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया गया समझा जाए :— "निम्नलिखित विशिष्टिकरण की पुष्टि करते हुए इंजन वाल्व के लिए तार राड :— |
| | | आई एस आई — विदेशी |
| | | 40 सी आर 1 — ई एन 18 |
| | | 40 एन आई 2 सी आर 1 एम ओ 28 — ई एन 24 |
| | | — — ई एन 51 |
| | | 45 सी आर 9 एस आई 4 — ई एन 52 |
| | | — — ई एन 54 |
| | | 40 सी आर एन आई 14 डब्ल्यू 3 एस आई 2 — ई एन 54 ए |
| | | 50 सी आर 20 एस आई 2 एन आई 1 — ई एन 59 |
| | | अथवा बराबर वाले" |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 449 | खंड 5, परिशिष्ट 41, अनुसूची 'सी' मद सं० 6, कालम-3 | निम्नलिखित टिप्पणी निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की गई समझी जाए :—<br>"शीट्स और प्लेटों का आयात स्वीकृत है। अन्य मदों की स्वीकृति, अनुसूची "ई" की क्रम संख्या 4, 8, 16 तथा 18 में निर्दिष्ट उत्पादकों द्वारा एन ए सी के विपरीत दी जाएगी। |
| 450 | खंड 5, परिशिष्ट 41, अनुसूची 'सी', मद सं० 9, कालम—2 | माल का वर्तमान विवरण निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया गया समझा जाए:—<br>"निम्नलिखित विशिष्टिकरण की पुष्टि करते हुए बाल बेयरिंग स्टील बिलेट्स और सिल्लियां —<br>आई एस — विदेशी<br>103 सी आर 2 — एस ए ई 52100<br>103 सी आर 1 — एस ए ई 51100<br>— — एस ए ई 5010C<br>0 एन आई 55 सी आर 50 — ए आई एस आई 8620<br>एम ओ 20 — ए आई एस आई 4620<br>—<br>103 सी आर 1 एम एन 60 तथा 1967 का आई एस 4398 — ई एन 31<br>अथवा बराबर वाले" |
| 452 | खंड 5, परिशिष्ट 41, अनुसूची "सी", मद सं० 12, कालम—3 | (1) टिप्पणी (4) में शीर्षक "आई एस" के अन्तर्गत दिए गए विशिष्टिकरण "02 सी आर 18 एम आई 11 एम ओ 3" को निम्नप्रकार से पढ़ने के लिए संशोधित किया गया समझा जाए :—<br>"02 सी आर 18 एन आई 11 एम ओ 3"<br>(2) "टिप्पणी (8) की पंक्ति 2 में अंकित के बाद 'ए आई एस आई 30" को आई एस आई 309" पढ़ें। |

SUBJECT:—*Import of tractors by agriculturists as gift*

**No. 86.-ITC(PN)/71.**—Attention is invited to the late Ministry of Commerce Public Notice No. 234-ITC(PN)/68 dated 24-10-1968 as amended according to which import of tractors as gift to agriculturists is allowed up to 31-10-1971.

2. The scheme is applicable to the import of agricultural tractors of certain specified models only. The position has been reviewed and it has been decided that the import will hereafter be allowed only in respect of the models/specifications indicated below :

| | |
|---|---|
| (1) Massey Ferguson . . . . . | MF 1035/135.<br>IMT-533/555. |
| (2) International . . . . . | B-275/276 and 434 |
| (3) Ford . . . . . | Ford 3000 |
| (4) Deutz . . . . . | D-3006, D-4006, D-6006, D-10006. |
| (5) Zetor . . . . . | 2011/2511, 3011/3511, 5511. |
| (6) Russian . . . . . | T-25. |
| (7) Shibaura . . . . . | S-2000 |
| (8) Hanomag . . . . . | 32 HP |
| (9) Rumanian . . . . . | U-500, U-650. |

3. Other conditions applicable to the scheme will remain unchanged.

विषय : कृषकों द्वारा उपहार के रूप में ट्रैक्टरों का आयात

सं० 86 आई०टी०सी० (पी०एन०)/71.—भूतपूर्व वाणिज्य मंत्रालय की यथा संशोधित सार्वजनिक सूचना संख्या 234—आई०टी०सी० (पी०एन०)/68, दिनांक 24—10—1968 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है। जिसके अनुसार कृषकों द्वारा उपहार के रूप में ट्रैक्टरों का आयात करने के लिए 31—10—1971 तक स्वीकृति दी गई है।

2. इस योजना के अन्तर्गत केवल कुछ विशिष्टिकृत कृष्य ट्रैक्टरों का आयात ही स्वीकार्य है। स्थिति की पुनरीक्षा की गई है और यह निश्चय किया गया है कि इसके बाद केवल नीचे संकेतित नमूनों/विशिष्टिकरणों के सम्बन्ध में ही आयात करने की स्वीकृति दी जाएगी :—

| | |
|---|---|
| (1) मैसी फरगूसन | एम एफ 1035/135. आईएमटी—533/555 |
| (2) इन्टरनेशनल | बी—275/276 और 434 |
| (3) फोर्ड | फोर्ड 3000 |
| (4) ड्यूट्ज़ | डी—3006, डी—4006, डी—6006, डी—10006 |
| (5) ज़ेटर | 2011/2511, 3011/3511, 5511 |
| (6) रूसियन | टी—25 |
| (7) शिबौरा | एस—2000 |
| (8) हनोमैग | 32 एच्पी |
| (9) रूमानियन | यू—500, यू—650। |

3. योजना के लिए लागू होने वाली अन्य शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

SUBJECT.—*Licensing conditions for UK/India Capital Investment Loan, 1971 (£5 million segment for the private sector and £5 million segment for the public sector).*

**No. 87-ITC(PN)/71.**—The terms and conditions governing the issuance of import licences under the UK/India Capital Investment Loan, 1971 (£5 million segment for the public sector and £5 million segment for the private sector) as given in the Appendix to this Public Notice are notified for the information of the trade

APPENDIX

LICENSING CONDITIONS FOR UK/INDIA CAPITAL INVESTMENT LOAN, 1971

**I. General Conditions**

1. The licence will bear the superscription—"UK/India Capital Investment Loan 1971", and the further indication whether it relates to the £ 5 million private sector segment or the £5 million public sector segment (the former in cases where the licence is issued in favour of a private sector unit on the basis of clearance accorded by the Capital Goods Committee, and the latter in cases where the licence is issued on the basis of release of foreign exchange, whether through the C. G. Committee or otherwise, in favour of public sector units or departmental undertakings of Central/State Government).

2. No remittance of foreign exchange will be permitted against the import licence, except U.K. bank charges which may be remitted through normal banking channels. Any payment towards Indian Agent's Commission should be made in Indian Rupee to the agents in India. Such payments, however, will form part of the licence value and will, therefore, be charged to the licence.

3. The licence will be issued with an initial validity period of 12 months. Firm orders on CIF or C&F basis must be placed within four months from the date of issue of the import licence. If orders cannot be placed within four months for valid reasons, the licence should be submitted to the licensing authority within the four month period or immediately thereafter giving the reasons for the delay in placing orders and indicating the date by which orders would be placed and extension in the period for ordering as necessary. Such requests will be considered on merits by the C.C.I. & E. in consultation with the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) where necessary. (*It should be noted that unless ordering is completed within 4 months or the extended period allowed by the licensing authority in any case the authorised dealers in foreign exchange will not permit establishment of letters of credits, or deposit of rupee equivalents*).

4. All payments must be completed within one month after expiry of licence. Individual payments must be arranged upon shipment of goods. No credit facility of any kind will be permitted.

**II. Special points to be incorporated in the orders/contracts or otherwise kept in view.**

1. While placing orders/contracts which must be placed *only on suppliers in the U.K.* (which expression includes the Channel Islands and the Isle of Man) the licensee must ensure by a provision in the same that the goods purchased are or will be wholly or mainly produced or manufactured in the U.K. When the contract also provides for works and services in connection with the purchase of such goods, it must similarly be ensured by a suitable provision therein that such works and services are or will be provided by persons ordinarily resident or carrying on business in the U.K. (It should be noted that the supplier/contractor will have to sign a contract certificate as provided in Section III below, indicating the non-U.K. content, if any, of the goods to be supplied, or in the case of chemicals and allied products, declare them to be of U.K. Origin). If the non-U.K. element is likely to exceed 10 per cent of the F.O.B. value of the contract, this should be brought to the notice of the Department of Economic Affairs (the Controller of Aid Accounts, Jeevan Deep Building, 10, Parliament Street, New Delhi), particularly in these cases in which the contracts are up to £ 25,000 in value and as such do not need the prior approval of the U.K. Government, and firm commitments should be entered into only if the Department of Economic Affairs agree.

2. *In the case of contracts of value exceeding* £25,000, a clause should specifically be included in the contract to the effect that the contract is subject to and will become effective only on approval by the U.K. Government.

3. The documentation requirements mentioned in Sections III and V below and the payment procedure laid down in Section IV below should be kept in view and should be appropriately incorporated in the contract.

**III. Contract Acceptances—Notification of contracts and amendments thereto**

A. *Cases where the contracts are for amounts exceeding* £25,000

1. Within a fortnight of placing of orders, the licensee should forward four copies of the contract or notification of contract (in the form attached as Annexure I) accompanied by five copies of the 'Contract Certificate' [in the form attached as Annexure II or Annexure II(B) as is appropriate] duly signed by the supplier, to the Controller of Aid Accounts, Ministry of Finance, Jeevan Deep Building, 10, Parliament Street, New Delhi.

(N.B.—*As no payments can be made unless the contract is duly approved by the U.K. Government it is most imperative for the licensee to ensure that copies of contract/notification of contract alongwith suppliers contract certificates are forwarded to the Ministry of Finance in the manner stated above at the earliest.*)

2. While forwarding the above documents to the Ministry of Finance, it must be ensured by the licensee that the number and date of the import licence and the name of the credit are clearly noted in the documents.

3. The Ministry of Finance will arrange through the Chief Accounting Officer, High Commission of India, London to file a set of the documents with the U.K. Government for obtaining their acceptance to the payments under the contract being made out of U.K. Credit. As soon as possible after the acceptance or non-acceptance of the contract by the U.K. Government is obtained the U.K. supplier as well as the licensee will be informed of the same direct by the Chief Accounting Officer, High Commission of India, London under advice to the Ministry of Finance.

4. If at any time a contract (being a contract in respect of which, acceptance of U.K. Government has been obtained or is pending) is amended, or if liability is to be incurred thereunder to a greater amount, than the amount specified in the contract certificate, the licensee should promptly forward the relevant supplementary or revised documents, copies of amendments to contracts and revised 'Contract Certificate' to the Ministry of Finance in order to enable them to notify the same to the U.K. Government for obtaining their acceptance. As soon as acceptance to an amendment to the contract/order is obtained from the U.K. Government, the licensee and the Ministry of Finance will be notified by the High Commission of India, London in the same manner as for the original contract.

5. If in any case, the contract is with the Indian Agent of the Foreign supplier, it should indicate the name of the U.K supplier to whom payment is to be made for the sterling portion of the contract, which alone will qualify for payment under the loan. Copies of such contracts (or of contracts placed by Indian Agents with U.K. Suppliers, if there are such separate contracts) should be sent as prescribed above.

B. *Cases where the contracts are of a value upto* £25,000

The U.K. Government's approval is not required for such contracts. Within a fortnight of placing of orders, the licensee should send four copies of the contract or Notification of Contract (Annexure I), accompanied by five copies of the 'Contract Certificate' [in the form attached as Annexure II or Annexure II(B) as is appropriate] duly signed by the supplier to the Controller of Aid Accounts, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, Jeevan Deep Building, 10, Parliament Street, New Delhi.

**IV. Payment to U.K. Suppliers—Letter of Credit Procedure**

1. A. *Where the value of the contract is up to* £ 25,000 (and therefore the approval of the U.K. Government to the contract is not required), the licensee should apply to the Controller of Aid Accounts, Economic Aid Accounts Branch, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Jeevan Deep Building, 10, Parliament Street, New Delhi for a *letter of authorisation* to any of the Exchange Banks in India for opening a letter of credit in favour of the U.K. Suppliers with one of the correspondent banks in the U.K.

B. *Where the value of the contract exceeds* £25,000, the licensee should approach the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs, Economic Aid Accounts Branch), New Delhi for a *letter of authorisation* in the above manner *only after the acceptance of the contract* by the U.K. Government has been intimated by the High Commission of India, London.

In both the cases 'A' and 'B' the request for the letter of authorisation should be in the form given in Annexure III and should be accompanied by a Bank Guarantee (in the form given in Annexure IV) for the full value of the import licence plus 1 per cent obtained from an authorised dealer in foreign exchange in India. The application for the letter of authorisation should be addressed by the licensee to the Controller of Aid Accounts, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Jeevan Deep Building, 10, Parliament Street, New Delhi.

NOTE.—No Bank Guarantee is required from public sector projects. In such cases the letters of credit will be opened through any branch of the State Bank of India.

2. If the application is found to be in order, the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, will issue an authorisation for the requisite amount to the importer and the Indian exchange bank concerned. The Ministry of Finance will also advise the U.K. Bank concerned and the Chief Accounting Officer, High Commission of India, London suitably. The advice to the U.K. Bank will, however, be sent to the Indian Exchange Bank concerned alongwith their copy of the authorisation letter, who should then transmit it to the U.K. Bank while opening the letter of Credit.

3. The Letter of Credit should be opened within three weeks from the date of issue of the authorisation (under intimation to the Ministry of Finance) failing which the authorisation will lapse. The Letter of Credit should detail the conditions to which the licence is subject, should provide for payments to the suppliers on the submission of all the documents detailed in Section V below, should contain adequate instructions regarding the despatch of documents after payment, and should be opened subject to the condition that the correspondent banks in the U.K. would, after making payments to the beneficiaries initially out of their own funds, obtain reimbursement therefor from the State Bank of India London, through the Chief Accounting Officer, High Commission of India, London. The Indian Exchange Bank's instructions regarding the opening of letter of credit must accord completely with the authorisation issued by the Ministry of Finance. There should be no discrepancies in any respect.

4. The Letter of Credit should be clearly marked with the Loan title and with the U.K. authorities' Contract Approval number, in cases where such approval is required.

## V. Documentation

1. The importer is responsible to see that the U.K. Supplier completes and submits the documents detailed below to the U.K. Bank at the time of claiming payment for the goods supplied.

(i) *The original* invoice with four photo copies or copies by any other process. (The invoice should show the name and address of the importer, quantity and detailed description of each item supplied, sales prices for each item reflecting all trade discounts, the basis of delivery (C. & F. or C.I.F.), and the sterling cost of any incidental service including delivery services or marine or transportation insurance).

(ii) One copy (or photostat) of ocean or charter party bill of lading or airway bill or parcel post receipt. (The Bill of Lading shall indicate the carrier's statement of charges in whatsoever currency it is paid).

(iii) *Four* copies of the payment certificate in the form given in Annexure V [not required in respect of contracts for which a contract certificate (Chemicals) in the form given in Annexure II(B) has been provided]. For this purpose, five blank forms of the payment certificate in the prescribed form should be attached to the letter of credit for completion by the supplier at the time of obtaining payment.

Each document must show the loan number, details of import licence, and if possible, the particulars of the Letter of Credit authorisation issued by the Ministry of Finance.

2. While opening Letters of Credit the authorised exchange bank in India will, on behalf of the importer, take care to incorporate necessary conditions in the Letter of Credit to ensure that the above requirements of documentation are noted and complied with by the U.K. Suppliers.

3. After payment is made to the U.K. Supplier, the correspondent Bank in the U.K. will send by *air mail* the original negotiable set of documents to the Indian bank concerned. (The Indian Bank will *remit* the *bank charges* to the U.K. Government and recover the same from the importer). Simultaneously the U.K. Bank will claim the reimbursement of the amounts paid by it to the suppliers from the Chief Accounting Officer, High Commission of India, London and will submit for this purpose invoices received from the suppliers and payment certificates as in Annexure V where required. The Chief Accounting Officer, High Commission of India will arrange payments to the U.K. Bank through the State Bank of India, London.

## VI. **Indian bank's responsibilities for rupee deposits**

1. Within 7 days of the receipt of the advice of payment alongwith shipping documents from the U.K. correspondent bank, the Indian Bank concerned shall collect from the importer the cost of import in rupees at the rate of Rs. 18.18 per £ 1.00 [see para (5) below] plus interest charges at 6 per cent per annum for the period from the date of payment to U.K. suppliers by the U.K. Bank to the date of deposit of the rupee equivalent.

2. The amount referred to above should be deposited by the Indian Bank to the credit of the Government of India in the Reserve Bank of India, New Delhi or the State Bank of India, Delhi or if this is not feasible should be remitted by means of Demand Draft drawn on and in favour of the State Bank of India, Tis Hazari Branch, Delhi. Thereafter, the treasury challan evidencing the deposit should be sent by registered post to the Controller of Aid Accounts, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Economic Aid Accounts Branch, Jeevan Deep Building, 10, Parliament Street, New Delhi indicating references to and enclosing copies of the invoices/shipping documents and the authorisation of that Department to which the transaction relates. The Indian Bank concerned shall also arrange to deposit in the same manner such additional amounts on accounts of service charges as may be demanded by the Government of India, within 7 days after such demand. The licensee should also fill in in duplicate the Form 'S' incorporated in Annexure II of the Public Notice No. 184-ITC(PN)/68 dated 30th August, 1968 and present the same to their Banks while arranging for rupee deposits in accordance with the procedure prescribed in the said Public Notice.

3. The amounts including interest charges to be deposited to the Credit of the Government of India shall be creditable under the Head of Account "Section T. Deposits and Advances—Part II—Deposits—Deposits not bearing interest—(c)—Other Deposits Accounts—Civil-Deposits—Deposits for purchases abroad from U.K.—Purchases under U.K. Loan—Purchase under the U.K./India Capital Investment Loan, 1971" and the Accountant General, Central Revenues, New Delhi shall be shown as the Accounts Officer who will adjust these credits.

4. After the obligations in terms of the Bank Guarantee and the Letter of Credit authorisation issued by the Ministry of Finance are fulfilled, the Indian Bank concerned can apply to the Controller of Aid Accounts, Economic Aid Accounts Branch, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs for the release of the Bank Guarantee. The application must be made by the Indian Bank concerned (not by the importers) and must be in the form laid down in

Annexure VI.

5. *The rate of exchange* viz. £ 1—*Rs.* 18.18 *mentioned above is the prevailing composite rate of exchange and any change in the same will be notified as and when decided upon by the Govt. of India.*

VII. **Reports on the utilisation of the import licence.**

A monthly report, in the form attached in Annexure VII showing the utilisation status of the licence, should be furnished on the 15th of each month to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Economic Aid Accounts Branch, New Delhi with a copy to the Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Department of Industrial Development) Foreign Exchange Credit Section, Udyog Bhawan, New Delhi.

VIII. **Miscellaneous instructions:**

1. *Refunds from U.K. Suppliers.*—If any money is received by the licensee from the U.K. suppliers or a guarantor (insurance company etc.) as a refund or in settlement of insurance claim or otherwise, such amounts should be refunded by the supplier to the concerned correspondent bank in U.K. (from which the payment was initially made to the suppliers) with the instructions to refund the amount immediately, in turn, to C.A.O., High Commission of India, London for crediting the loan Account. After the loan amount is so credited, an equivalent amount in rupees will be arranged to be refunded to the importer by the Ministry of Finance, upon receipt of claim therefor from the importer. If any refund is received after the close of the loan, the same will have to be made by the supplier direct to the importer.

As and when any such refund is received, a report thereof should also be made to the Ministry of Finance, with a copy to the Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Department of Industrial Development) Foreign Exchange Section, Udyog Bhavan, New Delhi.

2. *Notifying Suppliers of Special Conditions.*—The licensee should apprise the supplier of any special provisions in the import licence which may affect the suppliers in carrying out the transaction.

3. *Disputes.*—It should be understood that the Government of India will not undertake any responsibility for disputes, if any, that may arise between the licensee and the suppliers.

4. *Future Instructions.*—The licensee shall promptly comply with any directions, instructions or orders issued by the Government regarding any and all matters arising from or pertaining to the import licence and for meeting all obligations under the credit agreement.

5. *Breach or Violation.*—Any breach or violation of conditions set forth in the above clauses will result in appropriate action under the Imports and Exports (Control) Act.

IX. **List of Annexure by Titles.**

Annexure I.—Notification of Contract.

Annexure II.—Contract Certificate.

Annexure II(B).—Contract Certificate (Chemicals).

Annexure III.—Form of Application for Letter of Credit Authorisation.

Annexure IV.—Form of Bank Guarantee.

Annexure V.—Payment Certificate.

Annexure VI.—Form of application for release of Bank Guarantee.

Annexure VII.—Monthly Report on ordering and utilisation of Import licence.

ANNEXURE I

NOTIFICATION OF CONTRACT

UNITED KINGDOM/INDIA CAPITAL INVESTMENT LOAN, 1971

To

The Government of the United Kingdom.

Notification of Contract No..... It is proposed that payments shall be made in accordance with the terms and conditions of the above Loan.

1. Name and address of United Kingdom Contractor:

2. Date of Contract.

3. Name of Indian Purchaser:

4. Short description of goods:

and/or works or services:

5. Value of Contract:

6. Terms of Payment:

Signed on behalf of the Government of India

Date: .....

ANNEXURE II

FCO (ODA) ACCEPTANCE No.

UNITED KINGDOM/INDIA CAPITAL INVESTMENT LOAN, 1971
CONTRACT CERTIFICATE

*Particulars of Contract*

1. Date of contract ..... 2. Contract No. .....
3. Description of goods or services to be supplied to the purchaser.....
.....
.....
(If a number of items are to be supplied, a detailed list should be appended to the certificate).

4. Total contract price payable by purchaser (state CIF, C&F or FOB) £.....

IF GOODS ARE TO BE SUPPLIED THE FOLLOWING SECTIONS MUST BE COMPLETED

(If the contractor is exporting agent only, the information requested should be obtained from manufacturer)

5. Estimated % of the FOB value of the goods *not* originating in the United Kingdom, but purchased by the Contractor directly from abroad, i.e. % of imported raw material or components used in manufacture

(*a*) % FOB value .....

(*b*) Description of items and brief specifications.....

6. If any raw material or components used originated from abroad, e.g. copper, asbestos, cotton wood pulp. etc, but have been purchased in the United Kingdom by the contractor for this contract, specify:—

(*a*) % FOB Value .....

(*b*) Description of items and brief specifications.....

IF SERVICES ARE TO BE SUPPLIED THE FOLLOWING SECTION SHOULD ALSO BE COMPLETED

7. State the estimated value of any work to be done or services performed in the purchaser's country by

(*a*) Your firm (site engineers charges, etc.) .....
(*b*) Local contractor .....

8. Qualifying remarks as necessary in respect of paragraphs 5, 6 or 7 above.....

9. I hereby declare that I am employed in the United Kingdom by the Contractor named below and have the authority to sign this certificate. I hereby undertake that in performance of the contract no goods or services which are not of United Kingdom origin will be supplied by the Contractor other than those specified in paragraphs 5, 6, 7 and 8 above.

Signed .....

Position held .....

Name and address of Contractor :.....

.....

Date : .....

NOTE : for the purpose of this declaration the United Kingdom includes the Channel Islands and the Isle of Man.

*Contractors should note that goods should not be manufactured until acceptance has been notified (not applicable to contracts valued at less than £ 25·000)*

| FOR OFFICIAL USE ONLY | | | PAYMENTS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name or number of Project ..... | | | | | | |
| Amount Committed | Date of entry. | Acceptance Date Initials | Date | Amount | PA No. | Initials |

ANNEXURE II (B)

UNITED KINGDOM/INDIA CAPITAL INVESTMENT LOAN, 1971

*Contract Certificate for Chemical and Allied Products only*

1. Date of Contract.....contract No.....Import Licence No.. ..... Date .....

| 2. Discription of Product (s) to be supplied to Purchaser (Note A) | Price | UK Tariff classification No. (Note B) | Is the product of UK origin? (See Note C) State 'Yes' or 'No' |
|---|---|---|---|
| ..... | ..... | ..... | |
| ..... | ..... | ..... | |
| ..... | ..... | ..... | |
| ..... | ..... | ..... | |

3. Total [Estimated] Contract Price payable by Purchaser in Sterling—

4. (Declaration) hereby declare that I am employed in the United Kingdom by the Contractor named below and have the authority to sign this certificate, and that the above information is correct.

Signed.....
Position held .....
Name and address of Contractor:.....

Date: ..... .....

NOTES

A. This form is only to be used for chemical and allied products, most of which are covered by *the appropriate sub-headings* of Chapters 15, 25, 28-35 and 37-40 of the UK Tariff.

B. SEE:—

(i) HM Customs and Excise Tariff HMSO.

(ii) Classification of Chemicals in Brussels Nomenclature HMSO.

C (i) A product is regarded as of UK origin if made either wholly from indigenous UK materials *OR* according to the appropriate 'EFTA' qulifying process using imported materials wholly of in part.

(ii) The EFTA qualifying processes are set out in Schedule I of the EFTA Compendium for the Use of Exporters', HMSO.

(iii) For the purposes of this declaration it is to be emphasised that the "alternative per centage criterion" DOES NOT APPLY.

(iv) The words "Area Origin" where they appear in the above Schedule must be taken to mean "UK Origin" only.

(v) For the purposes of this declaration, the "Basic Materials List" (Schedule III of the EFTA Compendium) does not apply.

(vi) If a qualifying process is not listed for the material in question advice should be sought from the Govt. of the United Kingdom.

D. For the purpose of this declaration the United Kingdom includes the Channel Islands and the Isle of Man.

ANNEXURE III

*Form of Application for Letter of Credit Authorisation*

To

The Senior Accounts Officer,
Economic Aid Accounts Section,
Ministry of Finance,
(Deptt. of Economic Affairs),
Jeewan Deep Building,
Parliament Street,
New Delhi.

SUBJECT:— Import of .....from U. K. under UK/India Capital Investment Loan, 1971.

Sir,

In connection with the import of .....from U.K. against the above UK Loan, we furnish the following particulars to enable you to issue us authorisation for opening a Letter of Credit through our bankers on the U.K. Bank designated by you:—

(*a*) Particulars of Import Licence:

*No. & date* *Value (Rs.)* *Date upto which valid :*

(*b*) Sterling value licence.
(Calculated of £ 1 per Rs. 18)

(*c*) Sterling value of the orders placed for which authorisation is required specifying the names and address of the U.K. supplier/suppliers and the amount/s of authorisations required sparately against each supplier (copy of orders placed and U.K. suppliers' acceptance thereof to be attached).

(*d*) Name of U.K. correspondent Bank on whom the Letter of Credit is to be established.

(*e*) Name of the Indian Bank which has furnished the Bank Guarantee and which will open the Letter of Credit.

The Bank Guarantee furnished by..... and which has been duly adjudicated by the collector in accordance with the provisions of section 31 of the Stamp Act, 1899, is attached.

Yours faithfully,

(Signature of the Licensee and full Address)

ANNEXURE IV

*Form of Bank Guarantee*

To

The President of India,
Through Secretary to the Govt. of India,
Ministry of Finance,
(Department of Economic Affairs),
NEW DELHI.

Sir,

In consideration of the President of India hereinafter referred to as 'the Government' having agreed to arrange for payment in foreign currency of the price of goods to be imported by:

* (i) ..... } individual/partners
(ii) ..... } working under the name
(iii) ..... } and style of M/s.————
(Name (s) & Address(es)

*Messrs .....a company having its registered office at..... in the State of.....hereinafter referred to as the 'Importers' under Import Licence No.....dated.....granted for..... rupees, we,.....hereby guarantee that we shall arrange deposit to the credit of the Government in the Reserve Bank of India, New Delhi/State Bank of India, Tis Hazari Branch, Delhi or by means of Demand Draft Drawn on and in favour of State Bank of India, Tis Hazari Branch, Delhi (for credit to the Central Govt. account) to be forwarded to the said Tis Hazari Branch.

(i) Within seven days of the receipt of advice of payment with shipping documents, from the U.K. Banks, of rupee equivalent of the invoice price representing the sterling disbursements made by the UK Banks under the letter of credit authorisation issued by Ministry of Finance at the rate of Rs. 18·18 per £ 1·00 along with interest thereon at six per cent per annum from the date of payment to UK suppliers to the date of deposit of rupee equivalent and UK Bank charges.

(ii) Within seven days of the demand by the Government of such additional amount as may be demanded by the Government as being due on account of service charges.

2. We,..... undertake to pay to the Government on demand and without demure such sum not exceeding.....rupees (plus interest and service charges as aforesaid) as may be demanded by the Government in the event of the importers failing or neglecting to make any of the above mentioned said payments and the decision of the Government as to such failure or neglect on the part of Importers and as to the amount payable to the Government by us hereunder shall be final and binding on us.

3. We,.....agree and undertake not to release shipping documents to the Importers until after the rupee equivalent as aforesaid and the other dues, if any, as demanded by Government are deposited to the credit of the Government.

4. We,.....agree and undertake not to revoke this guarantee during its currency except with the previous consent of the Government in writing.

5. The guarantee herein contained shall not be affected by any change in the constitution of the Importers or of our Bank

6. The Government shall have the fullest liberty without affecting this guarantee to vary any of the terms of the Import Licence detailed above or extend the time for payment by the Importers from tim to time or to postpone for any time and from time to time any of the powers exercisable by it against the importers and we,.....shall not be released from our liability under this Guarantee by any exercise by the Government of the liberty with refernce to the amount of aforesaid or by reason or any such variation of extension of time being given to the Importers of any forbearance, act or omission on the part of the Government of any indulgence by the Government to the importer or by any of the matters or things whatsoever which under the law relating to sureties shall but for this provision have the effect of so releasing us.....Bank for our such liability.

Our liability under this bond/guarantee is restricted to Rs.....(plus U.K. Bank charges interest and service charges as aforesaid ) and it will remain in force till the.....** day of.....(Month).....197 . Unless claims under the bond/guarantee are made in writing within six months of this date and unless a suit or action to enforce these claims is commenced within another six months thereafter i.e. upto.....all Governments' rights under this bond/guarantee shall be for feited and we shall be relieved and discharged from all liability thereunder.

Yours faithfully,

Place:
Date:

Signature of the Authorised Officer
of the Bank and Bank's full address.

(The Bank Guarantee is to be executed on a non-judicial stamp paper, the value of the stamp being adjudicated by the Collector in accordance with the provisions of Section 31 of the Indian Stamp Act, 1899).

*Strike out which is not applicable.

**This date shall be arrived at by adding one month to the date by which all payments are expected to be finalised.

ANNEXURE V

UNITED KINGDOM/INDIA CAPITAL INVESTMENT LOAN, 1971.

*Payment Certificate*

I hereby certify that

(i) The payments referred to in the invoices listed below, which or copies of which accompany this payment certificate, fall due and are due to be made in respect of Contract No.....dated.....between the contractor named below and .....[Purchaser]..... and are in accordance with the particulars of this contract notified in the contract certificate signed on behalf of the said contractor on.....

| Contractor's Invoice No. | Date | Amount £ | Short description of goods, works and/or services |
|---|---|---|---|
| | | | |

(ii) The amounts specified in paragraph (i) do not include any additional foreign content to that declared in paragraphs 5, 6 or 7 of the contract certificate.

(iii) I have the authority to sign this certificate on behalf of the Contractor named below:

Signed: .....
Position held .....
For and on behalf of .....
.....
Name and Address of Contractor: .....
.....
.....
Date: .....

NOTE:— For the purpose of this declaration the United Kingdom includes the Channel Islands and the Isle of Man.

ANNEXURE VI

*Form of Application for Release of Bank Guarantee*

To

The Senior Accounts Officer,
Ministry of Finance,
Department of Economic Affairs,
Jeeven Deep Building, Parliament Street,
NEW DELHI.

Sir,

We are furnishing below detailed information on the rupee deposit made by us in discharge of our obligations under Bank Guarantee No.....dated ..... for an amount of Rs.....with the request that the same may be released and returned to us:

1. The name and full address of the importer/licensee on whose behalf the bank guarantee was furnished.

2. The Import Licence No., date, value and brief description of the commodities allowed for import thereunder.

3. Particulars of the authorisation(s) for opening Letters of Credit obtained from the Ministry of Finance.

(*a*) Letter No. & date.

(*b*) Amount of authorisation.

(*c*) UK Loan No.

4. Particulars of Imports and rupee deposits made (to be given separately for each Letter of Credit Authorisation).

(*a*) Particulars of Letters of Credit opened (No., date, value and the suppliers name).

(*b*) Invoice No. and date relative to each Letter of Credit.

(*c*) Amount of Invoice (net) in sterling.

(*d*) Amount of rupee deposit.

(*e*) Relative challan No. & date and the name of Treasury/Bank.

(*f*) If by demand draft, No. & date of the demand draft and the No. and date of the Letter with which the draft was sent to the State Bank of India, Delhi.

5. Amount utilised and balance unutilised (sterling) in each Letter of Credit Authorisation

II. We certify that:

(1) *The balance amount of £———————— available in the authorisation(s) given by the Ministry of Finance has not been utilised/will not be utilised.

OR

no letter of credit was opened under the authorisation(s) and the authorisation(s) lapsed.

OR

the letter(s) of credit opened against the authorisation letter(s) expired unutilised.

and (3) our obligations under the bank guarantee in question have been duly discharged.

III. We request that the bank guarantee may please be released and returned to us for cancellation.

Yours faithfully,

Authorised Agent for and on behalf of the Bank.

* whichever is applicable.

ANNEXURE VII

*Form of Utilisation Report in Respect of UK/India*

(to be furnished separately in respect of each Licence)

1. Name of the Importing firm.

2. Particulars of U.K. Credit.

3. No. & Date of the Import Licence.

4. Value of the Import Licence.

5. Value of the complete contr acting documents forwarded so far to the Ministry of Finance (Please give details of Contract No. & Value).

6. Value of the Contracts approved by the U.K. Government as notified by the High Commission of India.

7. Payments made to the U.K. Suppliers (Up-to-date)

8. Payments yet to be made in respect of the contracts already approved.

9. Value of further orders intended to be placed on U.K. Suppliers.

10. Surrenders, if any.

Signature of the authorised
Officer of the Importing Firm.

M. M. SEN,
Chief Controller of Imports and Exports.

विषय : यू०के०/भारत पूंजी निवेश ऋण 1971 के लिए लाइसेंस शर्तें (50 लाख खंड पौंड निजी क्षेत्र के लिए और 50 लाख खंड पौंड सरकारी क्षेत्र के लिए)

सं० 87/आई० टी० सी० (पी० एन०) 71.—यू०के०/भारत पूंजी निवेश ऋण, 1971 (50 लाख खंड पौंड निजी क्षेत्र के लिए और 50 लाख खंड पौंड सरकारी क्षेत्र के लिए) के अन्तर्गत आयात लाइसेंसों के जारी किए जाने के संबंध में लागू होने वाली शर्तें और नियम जो इस सार्वजनिक सूचना के परिशिष्ट में दी गई हैं, वे व्यवसायी की सूचना के लिए अनुसूचित की जाती हैं।

विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या————————आई० टी० सी० (पी० एन०)/71

दिनांक.....के लिए परिशिष्ट।

---

यू० के० भारत पूंजी निवेश ऋण 1971 के लिए लाइसेंस शर्तें

1. **सामान्य शर्तें** :—

(1) लाइसेंस का शीर्षक———————— यू०के०/भारत पूंजी निवेश ऋण 1971 होगा, और आगे यह कि क्या यह पौंड 50 लाख निजी क्षेत्र खण्ड से अथवा पौंड 50 लाख सार्वजनिक क्षेत्र खण्ड से संबंधित है (पहले उन मामलों में जिनमें लाइसेंस को निजी क्षेत्र एकक के नाम में निकासी के आधार पर जिसको सहमति पूंजीगत माल समिति द्वारा ले ली गई थी, जारी किया जाता है, और बाद में उन मामलों में जिनमें लाइसेंस पूंजीगत माल समिति द्वारा या अन्यथा रूप से विदेशी मुद्रा के आबंटन के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र एक को या केन्द्रीय/राज्य सरकारों के विभागीय उत्तर-दायित्व के नाम में जारी किया जाता है)

(2) यू० के० बैंक प्रभारों के अतिरिक्त जो सामान्य बैंकिंग सूत्रों के माध्यम से प्रेषण किये जा सकते हैं, किसी भी विदेशी मुद्रा का प्रेषण आयात लाइसेंस के लिए स्वीकार नहीं होगा। भारत स्थित अभिकर्ताओं का भारतीय अभिकर्ता कमीशन सम्बन्धी भुगतान भारतीय मुद्रा में होना चाहिए। लेकिन, इस प्रकार के भुगतान, लाइसेंस मूल्य के अन्य होंगे और ये इस लिए, लाइसेंस के लिए जाएंगे।

(3) लाइसेंस 12 महीनों की प्रारम्भिक वैध अवधि के लिए जारी किए जायेंगे। फर्म आदेश लागत बीमा भाड़ा या लागत भाड़ा के आधार पर आयात लाइसेंस जारी होने की तारीख के चार महीने के भीतर अवश्य दे दिया जाना चाहिए। यदि आदेश वैध कारणों से चार महीने के भीतर नहीं दिये जा सकते तो, लाइसेंस को लाइसेंस देने वाले अधिकारी के पास चार महीने के दौरान या उसके तत्काल बाद जमा कर देना चाहिए। इस कारण का उल्लेख कर देना चाहिए कि आदेश देने में देरी क्यों हुई और यह संकेत कर देना चाहिए कि अगला आदेश किस तारीख तक दिया जा सकता है और आदेश देने के लिए जैसी अवधि वृद्धि जरूरी हो इसे भी बता देना चाहिए। जहां जरूरत होगी, इस प्रकार के आवेदन पत्रों पर मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात द्वारा वित्त मंत्रालय, (अर्थ कार्य विभाग) के साथ परामर्श कर पात्रता के आधार पर विचार किया जायेगा। **(इसे ध्यान में रखना चाहिए कि जब तक आदेश दे देने का काम 4 मास की अवधि या लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा किसी मामले में बढ़ाई गई स्वीकृति अवधि के भीतर पूरा नहीं किया जाता है तब तक विदेशी मुद्रा देने के प्राधिकृत व्यापारी साख-पत्र की स्थापना करने या समतुल्य रुपए को जमा करने के लिए अनुमति नहीं देंगे।**

(4) लाइसेंस की समाप्ति के बाद एक मास के भीतर सभी प्रकार के भुगतान अवश्य पूरे हो जाने चाहिए। अलग अलग भुगतानों की व्यवस्था माल के पोत लदान पर होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की साख सुविधा की अनुमति नहीं दी जाएगी।

2. **आदेशों/संविदाओं या अन्यथा रूप में सम्मिलित की जाने वाली विशेष बातों को ध्यान में रखना**

1. जब फर्म आदेश/संविदा दी जा रही हो जो कि **केवल यू० के० संभरकों को दी जानी चाहिए** (जिसकी अभिव्यक्ति में चैनल आइलैंड तथा आइल आफ मैन शामिल हैं) लाइसेंसधारी को उसी में दी गई एक व्यवस्था द्वारा यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि खरीदे गए माल पूर्णतया या प्रधानतया यू० के० में उत्पादित अथवा निर्मित हैं, या होंगे। जब इस प्रकार के माल खरीदने से सम्बन्धित सेवाओं की भी व्यवस्था की जाती है, तो उसमें निहित उपयुक्त व्यवस्था द्वारा इसी प्रकार यह भी सुनिश्चित कर देना चाहिए कि ऐसे काम तथा सेवाएं साधारणतया यू० के० निवासी अथवा जो वहां व्यापार कर रहा है उसके द्वारा प्रदान की जाती है अथवा की जाएंगी। (इसे ध्यान में रखना चाहिए कि संभरक/संविदाकर्त्ता को नीचे के पैरा 3 में दी गई व्यवस्थाओं के अनुसार एक संविदा प्रमाण-पत्र में संभरित की जाने वाली किसी प्रकार की वस्तु के सम्बन्ध में जो गैर यू० के० की हैं इसका संकेत करते हुए या रसा... सम्... उत्पादों के मामले में यह घोषणा करते हुए कि वे यू० के० मूल की हैं उस पर हस्ताक्षर करने पड़ेंगे)। यदि गैर यू० के० माल को संविदा के जहाज पर निःशुल्क मूल्य के 10 प्रतिशत से अधिक होने की सम्भावना है, तो इसको सूचना अर्थ कार्य विभाग (सहायक लेखा नियंत्रक, जीवन दीप बिल्डिंग, 10, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली), को दे देनी चाहिए, और विशेष करके उन मामलों में जिनमें संविदाएं 25,000 पौंड मूल्य की हैं और इनके लिए यू० के० सरकार के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं हो, और फर्म वचनबद्धताओं को केवल तभी प्रविष्ट किया जाना चाहिए जब कि अर्थकार्य विभाग सहमत हो जाते हैं।

2. उन संविदाओं के मामलों में जिनका मूल्य 25,000 पौण्ड से अधिक हो तो संविदा में इस संबन्ध में एक वाक्यांश अलग यह जोड़ देना चाहिए कि संविदा इसके अधीन है और यह केवल यू० के० सरकार के अनुमोदन पर ही प्रभावी होगी।

3. नीचे के खण्ड 3 और 5 में बताई गई प्रालेखन आवश्यकताओं और नीचे के खण्ड 4 में निर्धारित की गई भुगतान प्रक्रिया को ध्यान में रखना चाहिए और उन्हें संविदा में उचित रूप से शामिल कर देना चाहिए।

**3. संविदा स्वीकृति/संविदाओं की सूचना तथा तत्सम्बन्धी संशोधन**

**(क) ऐसे मामले जहां संविदा से लिए धनराशि 25,000 पौण्ड से अधिक हो।**

(1) आदेश देने के 15 दिनों के भीतर लाइसेंसधारी को चाहिए कि संविदा अथवा संविदा अधिसूचना की चार प्रतियां (संलग्न अनुबंध 1 के रूप में) संभरक द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित संविदा प्रमाण-पत्र (संलग्न अनुबंध 2 अथवा 2 बी के रूप में, जो भी उपयुक्त हो) की 5 प्रतियों के साथ सहायता लेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय जीवन दीप बिल्डिंग 10—पार्लियामेन्ट स्ट्रीट, नई दिल्ली को भेजें।

**(विशेष ध्यान दीजिए चूंकि भुगतान तब तक नहीं हो सकता जब तक कि यू० के० सरकार द्वारा विधिवत् अनुमोदन नहीं प्राप्त हो जाता है, इसलिए लाइसेंसधारी के लिए यह अच्छी तरह जान लेने की आवश्यकता है कि संविदा/संविदा अधिसूचना की प्रतियां संभरक की संविदा के प्रमाण-पत्रों के साथ वित्त मंत्रालय को प्रारम्भ में ऊपर बताए के अनुसार भेज दी जाती हैं।)**

(2) वित्त मंत्रालय को उपर्युक्त प्रलेखों को भेजते समय लाइसेंस-धारी द्वारा यह सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि दस्तावेजों में आयात लाइसेंस की संख्या और तारीख तथा ऋण का नाम भली-भांति लिख दिया गया है।

(3) वित्त मंत्रालय मुख्य लेखाधिकारी, लन्दन स्थित भारतीय उच्चायोग के माध्यम से यू०के० ऋण द्वारा की जा रही संविदा के अन्तर्गत भुगतान के लिए यू०के० सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए उनको प्रलेखों के एक सेट फाइल करने के लिए व्यवस्था करेगा। यू० के० सरकार द्वारा संविदा की स्वीकृति या अस्वीकृति की प्राप्ति के बाद यथाशीघ्र इसकी सूचना मुख्य लेखाधिकारी, लन्दन स्थित भारतीय उच्चायोग द्वारा वित्त मंत्रालय को परामर्श देते हुए यू० के० संभरकों और साथ ही लाइसेंसधारी को दे दी जाएगी।

(4) यदि किसी समय संविदा (उस संविदा के सम्बन्ध में जिसमें यू० के० सरकार की स्वीकृति प्राप्त हो गई है या प्राप्त करनी है) में संशोधन किया जाता है, या संविदा प्रमाणपत्र में उल्लिखित धन राशि से ज्यादा धन-राशि के लिए उसके अन्तर्गत यदि कोई जिम्मेदारी निहित की जाती है, तो लाइसेंसधारी को चाहिए कि वह तत्संबंधी अनुपूरक या संशोधित प्रलेखों को संविदा के लिए संशोधित प्रतियों को तथा संशोधित 'संविदा प्रमाण-पत्रों' को वित्त मंत्रालय को तत्काल भेज दे ताकि वे इसकी सूचना यू०के० सरकार को दे सकें जिससे वे उनको स्वीकृति प्राप्त करने में समर्थ हो सकें। संविदा/आदेश के लिए जैसे ही संशोधन के लिए यू० के० सरकार से स्वीकृति प्राप्त होती है, तो लाइसेंसधारी और वित्त मंत्रालय को लन्दन स्थित भारतीय उच्चायोग द्वारा ठीक उसी विधि से जैसे मूल संविदा के लिए है, सूचित कर दिया जाएगा।

(5) यदि, किसी मामले में, विदेशी संभरक के भारतीय, अभिकर्त्ता के साथ संविदा की जाती है, उस यू०के० संभरक के नाम का संकेत इसमें होना चाहिए जिसको संविदा के उस स्टर्लिंग अंश के लिए भुगतान किया जाना है जो केवल इस ऋण के अन्तर्गत भुगतान के लिए होगा। ऊपर निर्धारित किए गए के अनुसार इस प्रकार की प्रतियों को (या उन संविदाओं की प्रतियां जो यू० के० संभरकों के साथ भारतीय अभिकर्त्ताओं द्वारा की गई है, यदि इस प्रकार की पृथक् संविदाएं हों) भेज दिया जाना चाहिए ।

(ख) उन मामलों में जिनमें संविदाएं 25,000 पौंड मूल्य से अधिक की हैं :—

इस प्रकार की संविदाओं के लिए यू०के० सरकार के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है । आदेश देने के 15 दिनों के भीतर लाइसेंसधारी को चाहिए कि संभरक द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित संविदा प्रमाण-पत्र (अनुबंध 2 या अनुबंध 2 बी में निर्धारित किये गये के अनुसार जो संलग्न है उस रूप में 5 प्रतियों के साथ संविदा की या संविदा अधिसूचना (अनुबंध 1 ) की 5 प्रतियों के साथ संविदा की 4 प्रतियां सहायता लेखा नियंत्रक, अर्थकार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, जीवन दीप बिल्डिंग, 10—पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली को भेज देना चाहिए ।

4 य० के० संभरकों के लिए भुगतान साख पत्र प्रक्रिया :—

(1) (क) जहां पर संविदा का मूल्य 25,000 पौण्ड (और इसलिए संविदा के सम्बन्ध में यू०के० सरकार से अनुमोदन लेने की जरूरत नहीं होती) तक होता है तो लाइसेंस धारी को चाहिए कि वह यू० के० संभरकों के नाम में यू० क० से सम्बद्ध बैंकों में से किसी भी एक बैंक में भारत में किसी मुद्रा विनिमय करने वाले बैंक में साख-पत्र खोलने के लिए प्राधिकरण-पत्र हेतु सहायता लेखा निमंत्रक, आर्थिक सहायता लेखा शाखा, अर्थ कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, जीवन दीप बिल्डिंग, 10, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली को आवेदन करना चाहिए ।

(ख) जहां पर संविदा का मूल्य 25,000 पौंड से अधिक होता है, तो लाइसेंसधारी को उपर्युक्त विधि के अनुसार प्राधिकरण-पत्र के लिए वित्त मंत्रालय (अर्थ कार्य विभाग) आर्थिक सहायता लेखा शाखा को सिफारिश करनी चाहिए और वह केवल तब जब कि लन्दन स्थित भारतीय उच्च योग द्वारा यू०के० सरकार द्वारा संविदा के लिए दी गई स्वीकृति से अवगत करा दिया गया हो ।

'ए' और 'बी' दोनों मामलों में, प्राधिकरण पत्र के लिए आवेदन पत्र अनुबंध 3 में दिये गये प्रपत्र के रूप में होना चाहिए और यह आयात लाइसेंस के पूरे मूल्य के लिए तथा उसमें एक प्रतिशत जो भारत में विदेशी मुद्रा देने वाले प्राधिकृत व्यापारी से प्राप्त है उसे जोड़ कर बैंक गारन्टी (अनुबंध 4 में दिये गये प्रपत्र के रूप में) के साथ होना चाहिए । प्राधिकरण पत्र के लिए आवेदन पत्र लाइसेंसधारी द्वारा सहायता लेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय अर्थ कार्य विभाग, जीवन दीप बिल्डिंग 10—पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली को सम्बोधित किया जाना चाहिए ।

टिप्पणी :—

सार्वजनिक क्षेत्र परियोजनाओं से बैंक गारन्टी लेने की आवश्यकता नहीं है । इस प्रकार के मामलों में भारत के किसी भी स्टेट बैंक की शाखा के माध्यम से साख-पत्र खोला जायेगा ।

(2) अगर आवेदन पत्र सही पाया जाता है, तो वित्त मंत्रालय, अर्थ-कार्य विभाग आयातक और सम्बद्ध भारतीय मुद्रा विनिमय करने वाले बैंक को अपेक्षित धन-राशि के लिए प्राधिकरण जारी करेगा। वित्त मंत्रालय सम्बंधित यू० के० बैंक और मुख्य लेखाधिकारी भारत का उच्चायोग, लन्दन को भी उपयुक्त परामर्श देगा । लेकिन, यू०के० बैंक के लिए परामर्श उनके प्राधिकरण पत्र की प्रति के साथ भारतीय मुद्रा विनिमय बैंक को भेज दिया जायेगा, और उन्हें चाहिए कि वे साख पत्र खोलते समय इसे यू० के० बैंक को प्रेषित कर दें ।

(3) प्राधिकरण (वित्त मंत्रालय को अवगत कराते हुए) के जारी होने की तारीख से तीन सप्ताह के भीतर साख पत्र खोल दिया जाना चाहिए ऐसा नही करने की स्थिति मे प्राधिकरण समाप्त हो जायेगा। साख पत्र मे उन शर्तों का उल्लेख होना चाहिए जिसके लिए लाइसेंस दिया गया है, नीचे के खण्ड 5 में उल्लिखित सभी प्रलेखों के प्रस्तुतीकरण के बाद सभरको को भुगतान के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। भुगतान के बाद प्रलेखों के प्रेषण करने से सम्बन्धित अनुदेशों को पूरी तरह समाविष्ट करना चाहिए, और इसे शर्त के अधीन खोला जाना चाहिए कि यू०के० में सम्बद्ध बैंक लाभ प्राप्तकर्त्ताओं, को प्रारम्भिक रूप मे उनकी अपनी निधि से भुगतान करने के बाद उसकी प्रतिपूर्ति मुख्य लेखाधिकारी भारत का उच्चायोग, लन्दन के माध्यम से स्टेट बैंक आफ इन्डिया लन्दन से प्राप्त करेगा। साख पत्र खोलने से सम्बधित भारतीय मुद्रा बैंक के अनुदेश वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किये गये प्राधिकरण के पूर्णतया अनुरूप अवश्य होने चाहिए। किसी भी हालत मे इसमे असगति नही होनी चाहिए।

(4) साख पत्र में ऋण शीर्षक को तथा यू० के० प्राधिकरणों की संविदा अनुमोदन सख्या, जिन मामलों में इस प्रकार के अनुमोदन की अपेक्षा होती है, भली-भांति अकित कर देना चाहिए।

(5) प्रलेखन

1. यह देखने की जिम्मेदारी आयातक की है कि यू० के० सभरक भेजे गए माल के लिए भुगतान की माग करते समय यू०के० बैंक के लिए नीचे उल्लिखित प्रलेखो को पूरा करता है और प्रस्तुत करता है।

(1) चार फोटो प्रतिया या अन्य किसी विधि से तैयार की गई प्रतियों के साथ मूल बीजक। (बीजक मे आयातक का नाम और पता सभरित की गई प्रत्येक मद की मात्रा और विस्तृत विवरण; सभी व्यापार छूटों को जो प्रतिबिम्बित करते हुए प्रत्येक मद के लिए विक्रय कीमत; वितरण का आधार या लागत बीमा भाड़ा और किसी प्रकार की आनुषंगिक सेवाएं जिसमे वितरण या नौवहन या परिवहन बीमा सेवाए शामिल है उसकी स्टर्लिंग लागत को दिखाना चाहिए)।

(2) महासागर या चार्टर लदान-पत्र की एक प्रति (या फोटोस्टेट) या वायुमार्ग बिल या डाक पारसल रसीद। (लदान पत्र वाहक के खर्चों का विवरण निर्दिष्ट करेगा चाहे इन खर्चों का भुगतान किसी भी मुद्रा मे किया गया हो)।

(3) अनुबंध 5 में दिए गये प्रपत्र में भुगतान प्रमाणपत्र की चार प्रतिया [ऐसी संविदाओ के सम्बन्ध में इन की आवश्यकता नही जिन के लिए अनुबंध 2 (बी) में दिये गये प्रपत्र मे एक संविदा प्रमाण पत्र (रासायनिक) को पूर्ति की गई है]। इस उद्देश्य के लिए, संभरक द्वारा भुगतान प्राप्त करते समय पूर्ण करने के लिए, निर्धारित प्रपत्र म भुगतान प्रमाण-पत्र के साथ खाली प्रपत्र साख पत्र के साथ सलंग्न करने चाहिएं।

प्रत्येक दस्तावेज में, ऋण संख्या, आयात लाइसेंस का विस्तृत ब्यौरा और यदि संभव हो, तो वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए साख पत्र प्राधिकरण के विवरण का प्रदर्शन अवश्य होना चाहिए।

2 यह सुनिश्चित करने के लिए कि यू० के० संभरकों द्वारा उपर्युक्त दस्तावेजीकरण की आवश्यकताएं नोट कर ली गई है और उनका अनुपालन किया गया है, भारत में प्राधिकृत मुद्रा विनिमय बैंक, साख पत्र खोलते समय, आयातकों की ओर से साख पत्र में आवश्यक शर्तें समाविष्ट करने का ध्यान रखेगा।

3. यू० के० संभरक को भुगतान हो जाने के बाद, यू०के० में व्यवसायी बैंक दस्तावेजों क मूल विनिमय सैट को हवाई डाक द्वारा सम्बन्ध भारतीय बैंक को भेजेगा। (भारतीय बैंक यु०के० सरकार को बैंक प्रभार प्रेषित करेगा और उसकी अदायगी आयातक से करेगा)। इसके साथ ही साथ य० क० बैंक मुख्य लेखाधिकारी, भारतीय उच्चायोग लन्दन से अपने द्वारा संभरकों को चुकाई गई धनराशि की प्रतिभूति का दावा करेगा और इस उद्देश्य के लिए संभरकों से प्राप्त बीजकों को तथा जहां आवश्यक हो, अनुबंध 5 के अनुसार भुगतान प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करेगा। मुख्य लेखाधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक, लन्दन के माध्यम से यू०के० बैंक को भुगतानों की व्यवस्था करेगा।

6. **रुपया निक्षेप के लिए भारतीय बैंक के उत्तरदायित्व**

(1) यू० के० सम्बद्ध बैंक से प्राप्त जहाज लदान प्रलेखों के साथ भुगतान के परामर्श की पावती के 7 दिनों के भीतर भारतीय सम्बद्ध बैंक आयातक से 18 रुपये 18 पैसे प्रति पौंड [नीचे की कंडिका (5) देखिए] की दर से आयात लागत के लिए रुपये में वसूल करेगा, और उस पर 6 प्रतिशत वार्षिक दर से सूद भी वसूल करेगा जो यू० के० बैंक द्वारा यू०के० संभरकों को दिए गए भुगतान की तारीख से लेकर निक्षेप किए गए समतुल्य रुपये की तारीख तक के लिए होगा।

(2) ऊपर उल्लिखित धनराशि भारतीय बैंक द्वारा रिजर्व बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली या स्टेट बैंक आफ इंडिया, दिल्ली में भारत सरकार के साख में निक्षेप किया जाना चाहिये या यदि यह संभव नही हो तो स्टेट बैंक आफ इंडिया, तीस हजारी शाखा, दिल्ली के नाम में निकालने के लिए दर्शनी हुंडी साधनों द्वारा प्रेषण किया जाना चाहिए। इसके बाद बीजक/पोत लदान प्रलेखों तथा उस विभाग का वह प्राधिकरण जो सौदे से सम्बन्धित है उनके संदर्भों का उल्लेख कर तथा उनकी प्रतियां संलग्न कर निक्षेप करने का साक्ष्यांकन करते हुए राजकोष चालान रजिस्ट्री डाक द्वारा सहायता लेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय, अर्थ कार्य विभाग, आर्थिक सहायता, लेखा शाखा, जीवन दीप बिल्डिंग, 10, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली को भेज दिया जाना चाहिए। भारत सरकार द्वारा मांग किए जाने पर भारतीय सम्बद्ध बैंक सेवाओं से सम्बन्धित अतिरिक्त खर्चों का ऐसी राशी को भी जो सरकार द्वारा मांगी जाए उसको जमा करने की व्यवस्था उसी तरीके से करेगा। लाइसेंसधारी को भी यह चाहिए कि सार्वजनिक सूचना संख्या 184 आई टी सी (पी एन)/68, दिनांक 30-8-68 के अनुबन्ध दो में शामिल किए गए 'एस' प्रपत्र की दो प्रतियां को भरे, और उसे उक्त सार्वजनिक सूचना में निहित प्रक्रिया के अनुसार रुपया जमा करने के लिए व्यवस्था करते समय अपने बैंक को प्रस्तुत करे।

(3) सूद प्रभार को शामिल करते हुए यह राशि जो भारत सरकार के खाते में जमा की जानी है, वह इस लेखा शीर्षक के अन्तर्गत जमा कराई जाएगी "सैक्शन टी——डिपोजिट एण्ड एडवान्सेज पार्ट 2——डिपोजिट——डिपोजिटस् नाट बियरिंग इन्टरेस्ट (सी) अदर डिपोजिट एकाउन्ट्स्——सिविल डिपोजिट्स्——डिपोजिट फार परचेजिस एब्राड फ्रोम यू० के०——परचेजेज अन्डर यू० के० लोन——परचेज अन्डर दि यू० के०/इन्डिया कैपिटल इन्वैस्टमेंट लोन, 1971" और महा लेखापाल, केन्द्रीय राजस्व, नई दिल्ली को लेखाधिकारी के रूप में दिखाया जाएगा जो इन साखों को समायोजित करेगा।

(4) वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए बैंक गारन्टी और साख पत्र प्राधिकरण की शर्तों के अन्तर्गत दायित्वों को पूरे किए जाने के बाद सम्बन्धित भारतीय बैंक वरिष्ठ लेखाधिकारी, अर्थ कार्य-लेखा शाखा, वित्त मंत्रालय, अर्थ कार्य विभाग को बैंक गारन्टी के बन्टन के लिए आवेदन कर सकता है। आवेदन पत्र सम्बन्धित भारतीय बैंक (आयातक द्वारा नहीं) भेजा जाना चाहिए और उसे अनुबन्ध 6 में निर्धारित प्रपत्र के रूप में होना चाहिए।

(5) उपर्युक्त मुद्रा दर अर्थात् । पौंड = 18.18 रुपये पूर्व प्रचलित 'मिली-जुली' मुद्रा दर है और इसमें किसी प्रकार के परिवर्तन होने की स्थिति में भारत सरकार द्वारा जब और जैसा निश्चित किया जाएगा, उसे अधिसूचित कर दिया जाएगा ।

**7. आयात लाइसेंस के प्रयोग किए जाने के सम्बन्ध में रिपोर्ट**

अनुबन्ध 7 में सम्बद्ध प्रपत्र के रूप में लाइसेंस के उपयोग किए जाने की स्थिति को प्रदर्शित करते हुए एक मासिक रिपोर्ट प्रत्येक मास की पन्द्रह तारीख को वित्त मंत्रालय, अर्थ कार्य विभाग, आर्थिक सहायता लेखा शाखा, नई दिल्ली को तथा औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार और कम्पनी कार्य मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग), विदेशी मुद्रा विनिमय साख अनुभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली को भी भेजी जानी चाहिए) ।

**8. विविध अनुदेश**

**य० क० संभरकों से धन-वापसी**

लाइसेंसधारी द्वारा यदि किसी प्रकार की राशि यू० के० संभरक अथवा गारन्टी कर्त्ता (बीमा कम्पनी आदि) से वापसी के रूप में या बीमा दावे की व्यवस्था के रूप में अथवा अन्यथा रूप से प्राप्त की जाती है, तो ऐसी राशि संभरक द्वारा यू० के० में संबंधित बैंक को (जिसके द्वारा प्रारम्भ में संभरक को भुगतान किया गया था) । **इन अनुदेशों के साथ वापिस की जानी चाहिए कि वे इस राशि को शीघ्र ही सी० ए० ओ० भारत के उच्चायोग सम्बन्ध को ऋण लेखे में साख करने के लिए वापिस करें** । इस प्रकार जमा की गई ऋण राशि के पश्चात, आयातक को रुपये में समतुल्य राशि वापिस करने की व्यवस्था आयातक द्वारा दावे की एक रसीद प्रस्तुत करने पर वित्त मंत्रालय द्वारा की जाएगी । यदि ऋण के समाप्त होने के पश्चात कोई वापसी प्राप्त होती है तो उसे संभरक द्वारा आयातक को सीधे ही अदा कर दिया जाएगा ।

जब कभी इस प्रकार की वापसी प्राप्त होती है तो उस की रिपोर्ट वित्त मंत्रालय को भी भेजी जानी चाहिए और उसकी एक प्रति औद्योगिक विकास और आन्तरिक व्यापार मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) विदेशी मुद्रा अनुभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली को भेजी जानी चाहिए ।

**(2) विशेष शर्तों के अधिसूचित किए जाने वाले संभरक**

यदि आयात लाइसेंस में ऐसी कोई विशेष शर्तें हों जो कि संभरक पर सौदे का पालन करने में प्रभाव डालें, तो लाइसेंसधारी को चाहिए कि संभरक को इनसे अवगत कराएं ।

**(3) विवाद**

यह जान लेना चाहिए कि लाइसेंसधारी और संभरकों के बीच कोई विवाद उठेगा तो भारत सरकार किसी प्रकार का उत्तरदायित्व नहीं लेगी ।

**(4) भविष्य के लिए अनदेश**

आयात लाइसेंस या इससे संबंधित किसी एक या सभी मामलों पर तथा ऋण करार के अन्तर्गत सभी प्रकार के आभारों को पूरा करने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा जारी किए गए निदेशों, अनुदेशों या आदेशों का तुरन्त पालन करेगा ।

(5) **उल्लंघन या अतिक्रमण :—**

उपर्युक्त कण्डिका में दी गई शर्तों के उल्लंघन या अतिक्रमण करने पर आयात-निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम के अधीन उचित कार्यवाही की जाएगी ।

9. **शीर्षकों के अनुसार अनुबन्धों की सूची**

| | |
|---|---|
| अनुबन्ध 1 | संभरक की अधिसूचना । |
| अनुबन्ध 2 | संविदा प्रमाण पत्र |
| अनुबन्ध 2 (बी) | संविदा प्रमाण पत्र (रासायनिक) । |
| अनुबन्ध 3 | साख पत्र प्राधिकरण के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप । |
| अनुबन्ध 4 | बैंक गारन्टी का प्रारूप । |
| अनुबन्ध 5 | भुगतान प्रमाण-पत्र । |
| अनुबन्ध 6 | गारन्टी के बन्टन करने से संबंधित आवेदन पत्र का प्रारूप । |
| अनुबन्ध 7 | आयात लाइसेंस के लिए आदेश देने तथा उसका उपयोग किए जाने के सबंध में मासिक रिपोर्ट । |

**अनुबन्ध 1**

**संविदा की अधिसूचना**

**यू० के०/भारत पूंजी निवेश ऋण,** 1971

यू० के०/भारत ———————————

सेवा में,

यू० के० सरकार

संविदा की अधिसूचना संख्या ———————————

यह प्रस्तावित किया जाता है कि उपर्युक्त ऋण की शर्तों के अनुसार भुगतान किया जाएगा :—

1. यू० के० संविदाकर्ता का नाम तथा पता
2. संविदा का दिनांक
3. भारतीय खरीददार का नाम
4. माल का संक्षिप्त ब्यौरा तथा/अथवा कार्य अथवा सेवाएं
5. संविदा का मूल्य
6. भुगतान की शर्त

भारत सरकार की ओर से हस्ताक्षरित

दिनांक———————————

अनुबन्ध 2

एफ सी ओ (ओ डी ए) स्वीकृति

संख्या

यू०के०/भारत पूंजी निवेश ऋण, 1971

**संविदा प्रमाण-पत्र**

**संविदा का ब्यौरा**

1. संविदा की तिथि———————————

2. संविदा संख्या———————————

3. खरीददार को दिए जाने वाले माल अथवा सेवाओं का विवरण———————————

---

(यदि कई मदों की पूर्ति की जानी है, तो इस प्रमाण-पत्र के साथ उसकी एक विस्तृत सूची लगा देनी चाहिए)।

4. क्रेता द्वारा देय कुल संविदा मूल्य (लागत-बीमा-भाड़ा, लागत तथा भाड़ा या जहाज पर निःशुल्क का उल्लेख कीजिए)।

पौंड ———————————

यदि माल का संभरण किया जाना है, तो निम्नलिखित खंडों का अनुपालन करना अनिवार्य है।

यदि संविदाकर्त्ता केवल निर्यातक अभिकर्ता है, तो मांगी गई सूचना निर्माण-कर्त्ता से प्राप्त करनी चाहिए।

5. जो माल यू० के० मूल का नहीं है, परन्तु संविदाकार द्वारा सीधे बाहर से खरीदा गया है, तो जहाज पर निःशुल्क मूल्य का अनुमानित प्रतिशत; जैसे आयातित कच्चे माल या निर्माण में उपयोग किए गए संघटकों का प्रतिशत।

(क) प्रतिशत जहाज पर निःशुल्क मूल्य———————————

(ख) मदों का विवरण तथा संक्षिप्त विशिष्टिकरण———————————

6. यदि विदेश मूल के किसी कच्चे माल या संघटकों का उपयोग किया गया हो, जैसे, ताम्बा, अदरह, कपास, लकड़ी, लुगदी आदि, परन्तु संविदाकर्त्ता द्वारा इस संविदा के लिए इनकी खरीद यू०के० में की गई है तो इनका उल्लेख करें :

(क) प्रतिशत जहाज पर निःशुल्क मूल्य———————————

(ख) मदों का विवरण और संक्षिप्त विशिष्टिकरण———————————

यदि सेवाएं प्रदान की जानी हैं, तो निम्नलिखित खंडों की पूर्ति की जानी चाहिए।

7. नीचे लिखे द्वारा किए गए किसी काम या खरीददार के देश में निष्पादित सेवाओं का अनुमानित मूल्य बताएं :—

(क) आपकी फर्म (स्थल, अभियान्त्र खर्च आदि)————————

(ख) स्थानीय संविदाकर्त्ता————————

8. उपर्युक्त कंडिका 5, 6 या 7 के सम्बन्ध मे जसा आवश्यक हो, टिप्पणी दें————

---

9. मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि नीचे लिखे सविदाकर्त्ता द्वारा मैं यू० के० में नियोजित किया गया हूं और इस प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकार मुझे प्राप्त है। मैं एतद्द्वारा यह जिम्मेदारी लेता हूं कि उपर्युक्त कंडिका 5, 6, 7 तथा 8 में विशिष्टिकृत को छोड़ कर किसी और माल या सेवाओं का जो यू० के० मूल के नहीं हैं, संविदा के निष्पादन में संभरण नहीं किया गया है।

हस्ताक्षरित————————

पद जिस पर वह है————————

संविदाकर्त्ता का नाम और पता————————

————————

दिनांक————————

संविदाकर्त्ताओं को नोट कर लेना चाहिए कि माल का निर्माण तब तक नहीं किया जाना चाहिए जब तक उसकी स्वीकृति को अधिसूचित नहीं कर दिया गया है।

(25,000 पौंड मूल्य से कम की संविदाओं के लिए लागू नहीं है)।

टिप्पणी.—इस घोषणा के लिए यू० के० वि चैनल आइलैंड और आइल्ज आफ मैन को शामिल करता है।

---

केवल कार्यालय के प्रयोग के लिए परियोजना का नाम अथवा संख्या————————

वचनबद्ध प्रविष्टि की स्वीकृति राशि तारीख

भुगतान

————————

दिनांक राशि पी ए सं० अद्याक्षर

————————

दिनांक अद्याक्षर

---

## अनुबन्ध–2 (बी)

## यू० के० भारत पूंजी निवेश ऋण, 1971

### केवल रासायनिक तथा संबद्ध उत्पादों के लिए संविदा प्रमाण-पत्र

1. संविदा की तिथि————संविदा संख्या———— आयात लाइसेंस संख्या————

निनांकक————————

---

| 2. खरीददार को संभरण किए जाने वाले उत्पाद (दों) का विवरण | पौंड मूल्य | यू० के० दर-सूची वर्गीकरण सं० | क्या उत्पाद यू० के० मूल का है ? |
|---|---|---|---|
| (टिप्पणी ए) | | (टिप्पणी बी) | (टिप्पणी सी देखिए) हां या नहीं लिखिए |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

3. खरीददार द्वारा भुगतान की जाने योग्य कुल/अनुमानिता/संविदा कीमत स्टर्लिंग में———— पौंड————

4. (घोषणा) में एतद्द्वारा घोषित करता हूं कि नीचे लिखे संविदाकर्त्ता द्वारा मैं यू० के० में नियोजित किया गया हूं और वैध प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकार मुझे प्राप्त है और उपर्युक्त सूचना सही है।

हस्ताक्षरित————

पद जिस पर है ————

दिनांक———— संविदाकर्त्ता का नाम और पता————

टिप्पणी

ए. इस प्रपत्र का प्रयोग केवल रसायन तथा सम्बन्धित उत्पादकों के लिए किया जाना है जिनमे अधिकतर को यू० के० दर सूची के अध्याय 15, 25, 28—35 तथा 37—40 के उपयुक्त उप-शीर्षकों द्वारा सम्मिलित किया गया है।

बी. देखिए

(1) एच० एम० कस्टम तथा एक्साईज डैरिफ एच० एम० एस० ओ०

(2) ब्रेसल्स नामावली एच० एम० एस० ओं० में रसायनों का वर्गीकरण

(1) यदि उत्पाद पूर्णतया यू० के० देशी माल के तैयार किया गया है तो यह उत्पाद यू० के० मूल का समझा जाता है अथवा उपर्युक्त ई एफ टी ए विशेषक विधि के अनुसार पूर्णतया अथवा अंशत: आयातित माल प्रयोग किया जाता है।

(2) एच० एम० एस० ओ० निर्यातकों के प्रयोग के लिए ई एफ टी ए विशेषक विधि, ई एफ टी ए सार-संग्रह के सूचक 1 में बताई गई है।

(3) प्रस्तुत घोषणा के लिए इस पर बल दिया जाना है कि निकासी प्रतिशत निकर्ष लागू नहीं होता है।

(4) उपर्युक्त सूचक में जहां कहीं शब्द 'क्षेत्र मूल' आते हैं उनका तात्पर्य केवल 'यू० के० मूल' से है।

(5) प्रस्तुत घोषणा के लिए 'मूल माल की सूची' (ए एफ टी ए सार संग्रह का सूचक–3) लागू नहीं होती है।

(6) यदि विषेयाधीन माल के लिए विशेषक विधि सूचीबद्ध नहीं है तो यू० के० सरकार से सलाह ले लेनी चाहिए।

डी. इस घोषणा के लिए यू० के० चनल आइलैण्ड तथा आईल आफ मैन को शामिल करता है।

अनुबन्ध 3

(साख पत्र प्राधिकरण के लिए आवेदन पत्र का प्रपत्र)

सेवा में,

वरिष्ठ लेखा अधिकारी,

अर्थकार्य सहायता लेखा शाखा

वित्त मंत्रालय,

जीवन दीप बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट,

नई दिल्ली.

विषय : यू० के०/भारत पूंजी निवेश ऋण, 1971 के अन्तर्गत यू० के०

से————————का आयात

महोदय,

उपर्युक्त यू० के० ऋण के लिए यू० के० से————————का आयात करने के सम्बन्ध में हम निम्नलिखित विवरण भेजते हैं, जिससे आप हमें हमारे बैंकरों के माध्यम से आपके द्वारा मनोनीत यू० के० बैंक में साख-पत्र खोलने के लिए प्राधिकरण जारी करने में समर्थ हो सकें :—

(क) आयात लाइसेंस का विवरण मूल्य तिथि जब तक वह वैध है :
(रुपयों में)

संख्या और तारीख

(ख) लाइसेंस का स्टर्लिंग में मूल्य
(प्रति पौंड 18 रुपये की दर से परिकलित)

(ग) यू०के० संभरक/संभरकों का नाम और पता बताते हुए दिए गए आदेश का स्टर्लिंग मूल्य जिसके लिए प्राधिकरण की जरूरत है और प्रत्येक संभरक के लिए (दिए गए आदेश और उसके लिए यू०के० संभरक की स्वीकृति की प्रति संलग्न की जानी है) अलग अलग अपेक्षित प्राधिकरण की धन राशि/राशियां ।

(घ) सम्बद्ध यू०के० बैंक का नाम जिसमें साख पत्र स्थापित किया जाना है ।

(ङ) उस भारतीय बैंक का नाम जिसने बैंक गारन्टी दी है और जो साख पत्र खोलेगा । स्टाम्प एक्ट, 1899 की धारा 31 में दी गई व्यवस्थाओं के अनुसार कलक्टर द्वारा विधिवत न्याय निर्णीत बैंक गारन्टी जो————————द्वारा प्रस्तुत की गई है, संलग्न है ।

भवदीय,

(लाइसेंस धारी के हस्ताक्षर तथा पूरा पता)

अनुबन्ध 4.

बैंक गारन्टी का प्रपत्र

सेवा में,
भारत के राष्ट्रपति द्वारा,
सचिव, भारत सरकार
वित्त मंत्रालय, (अर्थकार्य विभाग)
नई दिल्ली ।

भारत के राष्ट्रपति के बदले में जिसे आगे सरकार के रूप में निर्दिष्ट किया गया, निम्नलिखित द्वारा आयात किए जाने वाले माल की कीमत का विदेशी मुद्रा में भुगतान, करने की व्यवस्था करने को सहमत हैं ।

1) ————————————फर्म का नाम तथा किस्म जिसके अधीन व्यक्ति/भागीदार काम कर रहा है ।

2) ————————————

3) ————————————

4) ————————————

(नाम और पते)

सर्व श्री ————————————————कम्पनी जिसका पंजीकृत कार्यालय————————————राज्य————————————————में है, जिन्हें बाद में आयात लाइसेंस संख्या————दिनांक————————————के अन्तर्गत 'आयातकों' के रूप में उल्लेख किया गया और————————————रुपए स्वीकृत किए गए, हम————————————इसके द्वारा गारन्टी देते हैं कि रिजर्व बैंक आफ इंडिया , नई दिल्ली, स्टेट बैंक आफ इंडिया दिल्ली, तीस हजारी शाखा दिल्ली अथवा स्टेट बैंक आफ इंडिया, तीस हजारी शाखा दिल्ली के नाम दर्शन हुंडी द्वारा (केन्द्रीय सरकार के लेखे में जमा करने के लिए जो उक्त तीस हजारी शाखा के लिए प्रेषित किया जाना है, सरकार के खाते मे जमा करने की व्यवस्था करेंगे ।

(1) यू० के० बैंक से पोत परिवहन दस्तावेजों के साथ भुगतान की सूचना की प्राप्ति के 7 दिन के भीतर वित्त मंत्रालय से जारी किए गए मास प्राधिकरण जिसकी दर प्रति पौंड 18.18 रुपये है हमारे द्वारा स्थापित साख-पत्र के अन्तर्गत यू० के० बैंक द्वारा स्टर्लिंग में किए गए भुगतान को दर्शाते हुए बीजक कीमत के समतुल्य रुपये में भुगतान को और उस पर यू० के० संभरक को भुगतान की तारीख से सम्तुल्य रुपये जमा करने की तिथि तक 6 प्रतिशत ब्याज और यू० के० बैंक प्रभारों के साथ जमा किया जाएगा।

(2) सेवा प्रभार के लिए बकाया रहने वाली रकम जैसा कि सरकार द्वारा उसकी मांग की जा सकती है इस प्रकार की अतिरिक्त राशि सरकार द्वारा मांग किए जाने के सात दिनों के भीतर जमा करेंगे ।

2. हम————————मांग करने पर तथा बिना किसी आपत्ति के सरकार को ऐसी धन-राशि चुकाने का वचन देते हैं जो————————रुपये (ब्याज तथा सेवा प्रभार जैसा पहले कहा गया है) से अधिक न हो तथा जो धन-राशि आयातकों द्वारा उपयुक्त किसी प्रकार के भुगतान करने में असफल रहने पर अथवा उपेक्षा करने पर सरकार द्वारा मांगी जा सकती है और आयातकों की ऐसी असफलता या उपेक्षा पर सरकार जो भी धनराशि हमसे वसूल करने का निर्णय करेगी यह अन्तिम होगा और हमारे लिए अनिवार्य होगा ।

3. हम————————सहमत हैं और वचन देते हैं कि आयातकों को तब तक जहाज लदान दस्तावेज मुक्त नहीं करेंगे जब तक कि सरकार द्वारा मांगा गया यथा पूर्वोक्त तुल्य रुपया तथा अन्य बकाया यदि कोई हो, सरकार के खाते में जमा नहीं कर दिए जाएंगे ।

4 हम————————सहमत हैं और वचन देते हैं कि इस गारन्टी को इसके लागू होने के दौरान सरकार की लिखित रूप में पुर्व सहमति के बिना रद्द नहीं करेंगे ।

5. इसमें निहित गारंटी , आयातकों अथवा हमारे बैंक के विधान मे होने वाले किसी भी परिवर्तन से प्रभावित नहीं होगी ।

6. सरकार को इस गारन्टी को प्रभावित किए बिना उपर्युक्त निर्दिष्ट आयात लाइसेंस की शर्तों में कोई परिवर्तन करने या समय-समय पर आयातकों द्वारा भुगतान करने की अवधि में वृद्धि करने या इसके द्वारा किसी समय तथा समय-समय पर आयातकों के प्रति प्रयोग किए जाने वाले अधिकारों को स्थगित करने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी और इस गारन्टी में पूर्वोक्त धन-राशि के संदर्भ के सरकार द्वारा कोई भी अधिकार प्रयोग करने की स्वतंत्रता के कारण अथवा आयातकों को दिए जाने वाले समय में परिवर्तन या वृद्धि के कारण अथवा सरकार की ओर से किसी प्रतिबन्ध, अधिनियम या छूट अथवा सरकार द्वारा आयातकों पर किसी प्रकार की क्षमा अथवा कोई भी मामला या वस्तु जो कि कानून के अनुसार प्रतिभूतियों से सम्बन्धित हों इस परन्तुक के लिए , हमारे ————————(बैंक का नाम) दायित्वों पर कोई भी प्रभाव डाले बिना हमें ————————हमारे दायित्व से मुक्त नहीं करेगा ।

इस बौंड / गारन्टी के अन्तर्गत हमारा दायित्व————————रुपये ( यू० के० बैंक प्रभार ब्याज तथा सेवा प्रभार जैसा कि उपर बताया गया है ) के लिए प्रतिबन्धित है और यह तिथि————————मास ————————197 ————————तक क्रियान्वित रहेगा । जब तक बौंड / गारन्टी के अन्तगत इस तिथि के 6 मास के भीतर लिखित रूप में दावे नहीं कर लिए जाते और इसके बाद जैसे————————————तक अगले 6 मास के भीतर जब तक इन दावों को क्रियान्वित करने के लिए कोई मुकदमा नहीं चलाया जाता

या कोई कार्यवाई नहीं की जाती, उक्त बाँड / गारन्टी के अन्तर्गत सरकार के सभी अधिकार समाप्त हो जाएगें और इसमें निहित सारे दायित्वों से छुटकारा पा जाएगा और मुक्त हो जाएगें ।

भवदीय,

स्थान : बक के प्राधिकृत अधिकारी
दिनांक : के हस्ताक्षर और बैंक का पूरा पता

(बैंक गारन्टी एक न्यायकेतर स्टाम्प पेपर पर निष्पादित की जानी है,स्टाम्प का मूल्य भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 31 की शर्तों के अनुसार समाहर्त्ता द्वारा निर्णीत किया जाएगा) ।

*जो लागू न हो उसको काट दिया जाएगा ।

†जिस तिथि तक सभी भुगतान पूर्ण हो जाने की आशा है, उस तिथि में 1 मास जोड़कर यह तिथि गिनी जाएगी ।

## अनुबन्ध 5

### यू० के० / भारत पूंजी निवेश ऋण, 1971

### भुगतान प्रमाण-पत्र

में एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि

1. नीचे सूचीबद्ध किए गए बीजक में उल्लिखित भुगतान , वह या उसकी प्रतियां इस भुगतान प्रमाण-पत्र के साथ लगी हैं, बाकी है या नीचे लिख गए सविदाकर्त्ता और——————— खरीददार ——————————के बीच सविदा संख्या ————— तारीख ————— के सबंध के बाकी पूरे किए जाने वाले हैं, और संविदा प्रमाण-पत्र के अन्तर्गत अधिसूचित इस संविदा के विवरण के अनुसार हूं जो तारीख————— को उक्त सविदाकर्त्ता के नाम पर हस्ताक्षरित है ।

| सविदा कर्त्ता के बीजक की संख्या | तारीख | धनराशि पों० | मालकार्य और / या सेवाओं का संक्षिप्त विवरण |
|---|---|---|---|
| | | | |

2. कंडिका 1 में जो धन-राशि विशिष्टीकृत की गई है व सविदा प्रमाण-पत्र की कंडिका 5,6 अथवा 7 में बताई गई के लिए किसी अतिरिक्त विदेशी वस्तु को शामिल नहीं करती है ।

3. नीचे लिखे संविदाकर्त्ता के नाम पर इस प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर करने का मुझे अधिकार है ।

हस्ताक्षर ——————

पद जिस पर वह है ——————

——————के लिए और नाम पर के

संविदाकर्त्ता का नाम और पता ————————————————

————————————————

तारीख ————————————

टिप्पणी :— इस घोषणा के लिए यू० के०, चैनल आफ आइल्ज और आइल्ज आफ मैन को शामिल करता है ।

## अनुबन्ध 8

### गारन्टी मुक्त कराने के लिए आवेदन-प्रपत्र

सेवा में,

वरिष्ठ लेखाधिकारी,
वित्त मंत्रालय, अर्थकाय विभाग,
जीवन दीप बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट,
नई दिल्ली ।

महोदय,

हम गारन्टी संख्या ————————दिनांक————————राशि रुपये ————————के अन्तर्गत अपने उत्तरदायित्व को पूरा करने में जो रुपये जमा किए थे उनका विस्तत ब्यौरा नीचे प्रस्तुत कर रहे हैं और अनुरोध करते हैं कि इसे मुक्त करके हमें वापिस किया जाए:—

1. आयात का लाइसेंस-धारी जिनके नाम में गारन्टी दी गई थी, उनका नाम तथा पूरा पता ।

2. आयात लाइसेंस संख्या, दिनांक मूल्य और इसके अन्तर्गत आयात के लिए स्वीकृत की गई मदों का संक्षिप्त विवरण ।

3. साख पत्र खोलने के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा प्राप्त किए हुए प्राधिकरण (णों) का ब्यौरा ।

(क) पत्र संख्या तथा दिनांक

(ख) प्राधिकरण पत्र की राशि

(ग) यू० के० ऋण संख्या ।

4. किए गए रुपये निक्षेपों का तथा आयातों का विवरण (प्रत्येक साख प्राधिकरण-पत्र के लिए अलग रूप से दिया जाना है ) ।

(क) खोले गए साख पत्रों का ब्यौरा (स०, दिनाक, मूल्य तथा सभरक का नाम )

(ख) बीजक संख्या तथा प्रत्येक साख-पत्र के लिए सम्बधित तारीख

(ग) बीजक की स्टर्लिंग में (वास्तविक) राशि

(घ) रुपये में जमा की गई राशि

(ङ) संबंधित चालान संख्या तथा दिनांक और राजकोष / बैंक का नाम

(च) यदि डिमांड ड्राफ्ट द्वारा है तो डिमांड ड्राफ्ट की संख्या तथा दिनांक

और जिस पत्र के साथ, डिमांड ड्राफ्टस् स्टेट बैंक आफ इंडिया को भेजा गया था, उसकी संख्या ।

5. प्रत्येक साख प्राधिकरण-पत्र की कितनी राशि प्रयोग की जा चुकी है और कितनी प्रयोग नहीं की गई (स्टर्लिंग में)

ii हम प्रमाणित करते हैं कि :—

(1) *वित्त मंत्रालय द्वारा दिए गए प्राधिकरण पत्र (पत्रों) में उपलब्ध शेष———— ———— पौंड राशि का प्रयोग नहीं किया गया है / प्रयोग नहीं किया जाएगा,

अथवा,

प्राधिकरण पत्र के अन्तर्गत कोई साख-पत्र नही खोला गया था और प्राधिकरण पत्र समाप्त हो गए हैं ।

अथवा

प्राधिकरण पत्र के लिए साख-पत्र खोले गए थे और बिना प्रयोग किए समाप्त हो गए थे । और

(3) अपेक्षित गारन्टी के अन्तर्गत हमारे दायित्व विधिवत् पूर्ण किए जा चुके हैं ।

iii हम अनुरोध करते हैं कि गारन्टी मुक्त की जाए और रद्द करने के लिए हमें वापिस की जाए।

भवदीय,

बैंक के लिए और उनकी तरफसे प्राधिकृत अभिकर्त्ता

*जो भी लागू हो ।

अनुबन्ध 7

यू० के० / भारत पूंजी निवेश ऋण, 1971 के सम्बन्ध में उपयोग किए जाने वाली रिपोर्ट का प्रपत्र

(प्रत्येक लाइसेंस के सम्बन्ध में अलग से भेजा जाना है )

1. आयात करने वाली फर्म का नाम ।
2. यू० के० माल का वितरण ।
3. आयात लाइसेंस की संख्या और तिथि ।
4. आयात लाइसेंस का मूल्य ।
5. वित्त मंत्रालय को अब तक पूरी संविदा प्रलेखों का जो मूल्य भेजा गया है (कृपया संविदा की संख्याओं और मूल्य का ब्यौरा दीजिए) ।

6. यू० के० सरकार द्वारा स्वीकृत संविदाओं का मूल्य जसा कि भारत के उच्चायोग द्वारा अधिसूचित किया जाता है ।

7. यू० के० संभरक को किए गए भुगतान (अब तक) ।

8. पहले से ही स्वीकृत हो चुकी संविदाओं के संबंध में अभी तक किए जाने वाले भुगतान ।

9. यू० के० संभरकों को और आगे दिए जाने वाले आदेशों का मूल्य ।

10. अभ्यर्पण, यदि कोई हो ।

आयात करने वाली फर्म के प्राधिकृत
अधिकारी के हस्ताक्षर ।

एम० एम० सेन,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971